वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा

वर्ष 2017 में संभावित बाढ़ के मद्देनजर चुड़ा गुड़ इत्यादि सामग्रियों के क्रय हेतु दर निर्धारण के लिए आवश्यकतानुसार राहत सामग्रियों की ससमय आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं के बीच मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त आमंत्रित निविदा द्विलिफाफा पद्धति से दिनांक 24.05.17 के अपराहन 01.00 बजे तक जिला आपदा प्रबंधन प्रषाखा में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदाओं को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जिला क्रय समिति के समक्ष उसी दिन 03.00 बजे अपराहन् में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदादाताओं को मो0 5000.00 (पॉच हजार) रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, वैशाली में जमा करना होगा जो जिला पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम से होगा

क्र0	सामाग्री का विवरण	आकार / गुणवत्ता	दर
1	आटा, सत्तू एवं दाल	एगमार्ग	प्रति क्विंटल
2	चूड़ा	उत्तम गुणवत्ता	प्रति क्विंटल
3	चना	उत्तम गुणवत्ता	प्रति क्विंटल
4	चना का सत्तू	उत्तम गुणवत्ता	ब्रांडेड, एक किलो ग्राम के पैकेट में
5	गुड़ (सुखा)	उत्तम गुणवत्ता	प्रति क्विंटल
6	नमक (आयोडिन युक्त)	उत्तम गुणवत्ता	प्रति किलो ग्राम (पैकेट में)
7	मोमबत्ती (सफेद)	8इंच लम्बाई तथा 12 मी. मी. मोटाई का	प्रति दर्जन
8	दिया सलाई	ब्रांडेड	प्रति दर्जन
9	प्लास्टिक थैला	11 किलो ग्राम	प्रति सैकड़ा
10	पावरोटी	ब्रांडेड	400 ग्राम के पैकेट में
11	आलू	उत्तम गुणवत्ता	प्रति क्विंटल
12	सरसो तेल	ब्रांडेड	15 कि. ग्रा. / टीन
13	मसाला –जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च एवं धनिया पाउडर	उत्तम गुणवत्ता	प्रति कि. ग्रा.
14	जनरेटर (भाड़े पर ईंधन सहित)	**5kva/10kva/15kva** (राहत षिविर तक पहुँचाकर)	प्रतिदिन
15	सभी प्रकार के लाईट भाड़े पर	मरकरी एवं सि. एफ. एल.	प्रतिदिन
16	खाना बनाने के सभी प्रकार के बर्त्तन (भाड़े पर)	–	प्रतिदिन
17	खाना बनाने के लिए गैस भट्टी / चुल्हा (भाड़े पर)	–	प्रतिदिन

निविदा की आवश्यक शर्ते

1. स्वीकृत की गई निविदा के निविदादाता को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि आपूर्ति के निर्धारित अवधि के अन्दर नमूना के अनुसार उचित संख्या, साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार आपूर्ति कर दी जायेगी एवं आश्यकतानुसार वैशाली जिला के 16 (सोलह) प्रखण्डों में स्वयं व्यय कर पहुॅचाना होगा ।
2. स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सभी समग्रियों का भंडारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे ।
3. निविदा के साथ अपना बिक्रीकर, निबंधन वैट संख्या, स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं आयकर प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
4. निविदा के सभी सामग्रियों का दर (सभी कर सहित) स्पष्ट करना होगा ।
5. निविदा के साथ ही सामग्रियों का नमूना समर्पित करेंगे ताकि उसकी गुणवत्ता, वजन आदि की जॉच की जा सके ।
6. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी भी प्रकार की अग्रिम देय नहीं होगा ।
7. स्वीकृत किये गये नमूनों के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ताओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गई सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा ।
8. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।
9. विस्तृत जानकारी के लिए वैशाली जिला के आधिकारिक वेबसाइट **vaishali.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है ।

जिला पदाधिकारी,
वैशाली।